वर्ष 2 अंक 9 सितंबर 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

भविष्य निधि योजना में मूल सुधार के लिए सीटू का आह्वान

[भारत सरकार ने इंटक के महासचिव, श्री आर. रामानुजम, की अध्यक्षता में एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड रिव्यू कमेटी नियुक्त की. सीटू के सचिव एम. के पंधे व ऋषि बनर्जी इस कमेटी से एक अगस्त 1980 को मिले तथा एक ज्ञापन दिया. समूचा ज्ञापन यहां प्रकाशित किया जा रहा है. इसमें शीर्षक व जोर हमारा है. सं.]

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज (सीटू) कर्मचारी भविष्य निधि रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों का इस बात के लिए आभार प्रकट करती है कि उन्होंने मजदूर वर्ग के हितों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें अपने विचार रखने का अवसर दिया. सीटू आशा करती है कि कमेटी इस ज्ञापन में दिए गए विचारों व सुझावों पर पूरा ध्यान देगी जिससे कि इस योजना को भविष्य निधि संस्था के लाखों सदस्यों के हितों के लिए बेहतर बनाया जा सके.

कानून के चंगुल में नहीं

भविष्य निधि कोष के वर्तमान कानून के अंतर्गत वे सभी फैक्ट्रियां या संस्थान आते हैं जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं. किंतु इस कानून को अमल में लाने का हमारा अनुभव यह बताता है कि बहुत से मालिक कानून की तकनीकी अटकलों व खामियों का सहारा लेकर इस कानून की परिधि से अपने आपको बचा लेते हैं. इस प्रकार कुछ उद्योगों में काम करने वाले बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को इस कानून के अंतर्गत होने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ता है. हम नीचे कुछ ऐसे उद्योगों के उदाहरण दे रहे हैं जहां कुल कर्मचारियों का बहुत छोटा वर्ग ही इस कानून के अंतर्गत लाभान्वित होता है—

उद्योग/संस्था	कर्मचारियों की कुल संख्या	कानून के अंतर्गत लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या (1977-78)
सड़क-परिवहन यातायात संस्थान	12 लाख से अधिक	3,72,716
बीड़ी उद्योग	30 लाख	3,99,513

ऐसे कई उद्योग हैं जहां कई लाख मजदूर काम करते हैं किंतु इस कानून की परिधि में आने वाले मजदूरों की संख्या बहुत कम है. उदाहरण के लिए केवल 84,171 होटल कर्मचारी 19,404 रेस्टोरेंट कर्मचारी व 10,813 कैंटीन कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं. हालांकी इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लाखों में है. इसके अतिरिक्त ऐसे भी कई संस्थान हैं जो बहुत मुनाफा कमाते हैं व इस स्थिति में हैं कि अपने कर्मचारियों को इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित कर सकें. किंतु क्योंकि इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है इसलिए इस कानून की परिधि से बच जाते हैं. उदाहरण के लिए अत्यधिक मुनाफा कमाने वाली ट्रेविल एजेंसीज के केवल 4424 कर्मचारी ही भविष्य निधि योजना का फायदा उठा रहे हैं. इसी प्रकार हालांकि कास्ट एंड वर्क्स एकांउटेंट्स को 1964 से ही इस कानून के अंतर्गत रखा गया है किंतु अब तक एक भी कर्मचारी को भविष्य निधि योजना का फायदा नहीं हुआ है. यदि हम भविष्य निधि संस्था के रिकार्ड पर नजर डालें तो हमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण वहां मिल जाएंगे. सीटू का यह मत है कि इस कानून के प्रावधानों

पाठकों को बधाई

सीटू के अंग्रेजी मासिक 'दि वर्किंग क्लास' के सितंबर अंक से प्रकाशन दसवें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हम अपने पाठकों को हार्दिक बधाई देते हैं.

को इस प्रकार से संशोधित करना आवश्यक है जिससे कि अधिक से अधिक संस्थान इस कानून के घेरे में आए. इस संदर्भ में हमारा यह सुझाव है कि उन सभी इकाइयों को इस कानून की परिधि में लाया जाए जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हों. इसके अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह अधिकार दिया जाए कि वे ऐसे मुनाफा कमाने वाले उद्योगों व संस्थानों पर भी यह कानून लागू करे जहां 10 से कम कर्मचारी हों. इस प्रावधान से बहुत से और मजदूरों को इस योजना का फायदा मिल पाएगा.

भारी दुरुपयोग

इस समय केवल वे ही मजदूर इस योजना के अंतर्गत आते हैं जो 6 महीने के भीतर एक ही मालिक के पास 120 दिन काम करते हैं भले ही यह काम लगातार 120 दिन न किया गया हो. कई प्रबंधक इस प्रावधान का दुरुपयोग कर बहुत से मजदूरों को भविष्य निधि योजना के लाभ से वंचित करते हैं. ऐसा खासतौर पर उन उद्योगों में होता है जहां मालिक जब चाहे अपनी मर्जी से मजदूरों को निकाल सकते हैं. ऐसे उद्योगों मे मजदूरों को 6 महीने की अवधि में 120 दिन काम पर नहीं रखा जाता. इन हालात में हमारा यह सुझाव है कि कानून को इस प्रकार से संशोधित किया जाए जिससे कि किसी भी इकाई में एक महीने से अधिक काम करने वाले मजदूर को भविष्य निधि योजना का लाभ मिल सके. इस प्रकार के संशोधन से उन तमाम मजदूरों को फायदा होगा जो किसी मालिक के पास लंबे समय तक काम पाने में असमर्थ हैं. इस प्रकार के मजदूरों के लिए मालिक बदल जाने व विभिन्न नौकरियों के बीच अंतराल होने के बावजूद भविष्य निधि संस्था का सदस्य बना रहना संभव होना चाहिए. किसी मजदूर ने किसी संस्थान में चाहे कितने समय काम किया हो, काम का यह समय भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सार्थक माना जाना चाहिए.

इस सुझाव को कई मानों में लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि भविष्य निधि योजना की प्रशासनिक व्यवस्था को सुसंगठित व विशाल बनाया जाए जिससे कि मजदूरों के असंगठित वर्गो के लाभ के लिए नए प्रावधानों व परिवर्तनों को सही मानों में लागू किया जा सके.

इस समय भवन-निर्माण उद्योग में काम करने वाले हजारों मजदूर ठेका-मजदूर पद्धति के अंतर्गत काम कर रहे हैं. इस प्रकार के मजदूर भविष्य निधि योजना का फायदा उठाने में असमर्थ हैं. हम समझते हैं कि इन ठेका मजदूरों को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है.

हमारा यह मत है कि जब भी मालिकान मजदूरों को छंटनी-मुआवजा देते हैं, उस समय उन्हें इस मुआवजे पर भी भविष्य निधि अंशदान देना आवश्यक होना चाहिए. ऐसा करना इसलिए आवश्यक है जिससे कि बेरोजगारी के समय के दौरान कम से कम बेरोजगारी के समय के एक अंश के दौरान, मजदूरों को इस योजना का फायदा मिल सके.

बकाया राशि की बढ़ती रकम

ट्रेड यूनियन आंदोलन ने पहले भी कई मौकों पर सरकार व भविष्य निधि संस्थान अधिकारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि कई मालिक कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष में अपना योगदान नहीं देते. इस प्रकार उनसे वसूल की जाने वाली यह बकाया राशि की रकम बढ़ती चली जाती है.

कई बार यह भी देखने में आया है कि मालिक न केवल इस कोष में अपना योगदान नहीं देते बल्कि कर्मचारियों के वेतनों से काटी गई राशि को भी समय पर जमा नहीं कराते. कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान की बकाया राशि 30 करोड़ तक पहुंच गई है. यदि समय रहते इस बारे में कोई कदम न उठाए गए तो यह राशि और अधिक बढ़ सकती है. मालिकान से वसूल किया जाने वाली इस बकाया राशि का बड़ा भाग तो अब शायद कभी वसूल ही न हो पाए. इससे उन इकाइयों के मजदूरों को बड़ा नुक्सान अपने बिना किसी दोष के होगा. इस प्रकार के व्यक्तियों को सजा देने के लिए इस समय केवल 6 महीने कारावास या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है जो काफी नहीं है. इस प्रकार की सजा भविष्य निधि कोष में होने वाले घोटाले को नहीं रोक पाई है. अक्सर कुछ मालिक भविष्य निधि में ईमानदारी से अपना योगदान देने की बजाय लंबी व पेचीदा कानून प्रक्रिया का सहारा लेना अधिक लाभप्रद समझते हैं. हमारा विचार है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए अधिक कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई मालिक भविष्य निधि राशि को न रोक पाए.

हमने यह जानने का प्रयत्न किया कि इस कानून के लागू होने के पिछले 27 वर्षो में कितने ऐसे मालिकों को कारावास की सजा हुई है जिन्होंने भविष्य निधि राशि में घोटाला करने का प्रयत्न किया. पूरी जानकारी के बाद हमने पाया कि इतने वर्षो में केवल एक छोटी इकाई के मालिक को जेल की सजा हुई और वह भी केवल एक दिन के लिए ! हमारा मत है कि भविष्य निधि कोष में घोटाला करने के लिए जिम्मेदार मालिक की पहली सजा कारावास ही होनी चाहिए, यदि मालिक भविष्य निधि कोष में अपना योगदान नहीं देता तो उसे 5 वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा मिलनी चाहिए. यदि मालिक कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान को भी कोष में जमा नहीं करता तो इसकी सजा और अधिक सख्त होनी चाहिए. क्योंकि भविष्य निधि राशि में मजदूरों का योगदान जमा न करके उस मालिक ने घोर समाज-विरोधी काम किया है.

जहां तक इस प्रकार के व्यक्तियों पर जुर्माना करने का सवाल है, इस बारे में वर्तमान प्रावधान केवल 1,000 रुपये है जो केवल दिखावा मात्र है. हमारे विचार में यह जुर्माना उस रकम के बराबर होना चाहिए जिस रकम का घोटाला हुआ है.

इस समय भविष्य निधि कोष संस्था एक वर्ष के बाद या घोटाला होने के बाद सचेत होती है. समय पर सचेत न होने का परिणाम यह होता है कि बकाया राशि की वसूली करनी पड़ती है जो कि बहुत मुश्किल से ही हो पाती है. हमारा सुझाव यह है कि प्रति माह ज्योंही किसी इकाई की ओर से राशि जमा न हो, एकदम उस मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए.

इस काम को अधिक तेज व आसान बनाने का एक तरीका यह भी है कि उस संस्थान में काम करने वाली पंजीकृत ट्रेड यूनियन को यह अधिकार दे दिए जाए कि यदि मालिक एक महीने भी भविष्य निधि कोष में राशि जमा नहीं करता तो वह ट्रेड यूनियन उस पर कानूनी कार्रवाई कर सके.

अक्सर कई मालिक एक कंपनी की संपत्ति व धनराशि बदलकर कंपनियों को "बीमार" घोषित कर देते हैं और इस प्रकार भविष्य निधि कोष योजना के प्रावधानों से बच निकलने का प्रयत्न करते हैं. यदि सरकार ऐसी कंपनी को अपने हाथ में भी ले लेती है तब भी उस कंपनी की देयता उसकी संपत्ति से अधिक होती है. ऐसी हालत में सरकार भविष्य निधि बकाया वसूल कर पाने में असमर्थ रहती है. इस बारे में हमारा सुझाव यह है कि कानून के तहत इस प्रकार के मालिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि भविष्य निधि कोष संस्था के लिए बकाया वसूल करने में आसानी हो जाए.

बहुत बड़ी कमी

यदि कोई मालिक भविष्य निधि कोष में अपना योगदान नहीं देता या कर्मचारियों के वेतन से काटा गया योगदान जमा नहीं कराता तो सारा नुक्सान कर्मचारियों का ही होता है. हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं होता वर्तमान भविष्य निधि योजना में यह बहुत बड़ी कमी है. हमारा सुझाव है कि यदि सरकार किसी मालिक से भविष्यनिधि कोष में उसका योगदान वसूल करने में असमर्थ है तो इसका भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ना चाहिए.

असली कीमत भी नहीं मिलती

लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति व आसमान को छूती कीमतों के बीच मजदूरों को भविष्यनिधि में दिए अपने योगदान के बाद जो रकम वापिस मिलती है उसका असली मूल्य उस राशि से काफी कम होता है जो उसने पिछले कई वर्षों से अपने योगदान के रूप में दी है. भविष्यनिधि योजना का यह पहलू भारत सरकार के श्रम व रोजगार सलाहकार श्री मनमोहन सिंह ने अपने एक लेख में भली प्रकार उजागर किया है. यह लेख उन्होंने 19 से 30 सितंबर 1977 के बीच 'सामाजिक सुरक्षा व राष्ट्रीय विकास' पर हुई एक गोष्ठी में पढ़ा था. क्योंकि यह लेख स्वयं व्याख्या करता है इसलिए इसकी एक प्रति संलग्न की गई है ताकि कमेटी ई. पी. एफ. संस्था में जमा कराए गए धन के मूल्य में गिरावट के पहलू को स्वयं देख ले. इस पहलू पर विस्तृत आंकड़े उद्धृत करने के बाद श्री मनमोहन सिंह निष्कर्ष देते हैं—

"यह साफ जाहिर है कि भविष्य निधि कोष में राशि जमा कराने वाले कर्मचारी न केवल उस राशि पर कोई ब्याज नहीं ले पाते हैं बल्कि अपनी मूल राशि की असली कीमत भी नहीं ले पाते हैं. इस प्रकार भविष्यनिधि योजना में ब्याज की दर उल्टी चलती प्रतीत होती है."

हमारा यह सुझाव है कि भविष्य निधि राशि पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए. याद रहे बैंकों में लंबी अवधि की बचत पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत से अधिक होती है. डाकघर बचत सेवा में भी लंबी अवधि की बचत पर पहले ही ब्याज की दर 10½ प्रतिशत है.

सुव्यवस्थित संस्था बनाओ

बहुत से मजदूर व कर्मचारी शिकायत करते रहते हैं कि सेवा-निवृत्ति होने के बाद उन्हें भविष्य निधि राशि वापिस मिलने में काफी देर व परेशानी होती है. कभी-कभी तो मजदूर को अपनी रकम वापिस मिलने में एक साल लग जाता है. देरी से संस्था में भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है. यदि इस बीच मजदूर का निधन हो जाता है तो उसके निकट संबंधियों को यह रकम वापिस मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए यह आवश्यक है कि संस्था के कार्य को सुव्यवस्थित किया जाए जिससे कि मजदूरों को उनकी रकम सही समय पर बिना किसी देरी या परेशानी के लौटायी जा सके जिसके अनुसार मालिकों को किसी मजदूर के सेवानिवृत्त होने के तीन महीने पहले इस बारे में भविष्यनिधि कार्यालय को सूचित करना आवश्यक हो, तो इससे संस्था के लिए समय पर मजदूरों की रकम का भुगतान करने में सहायता मिल सकती है.

बोर्ड में ट्रेड यूनियनों को महत्व दो

कर्मचारी भविष्यनिधि के तहत गठित वैधानिक कमेटी को केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर व्यवस्थित करना तथा इस कमेटी में संस्था के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है. इस समय इस संस्था के बोर्ड आफ ट्रस्टीज केवल एक सलाहकार समिति के रूप में काम करते हैं. हमारा सुझाव है कि इस समिति को निरीक्षण के अधिकार भी दिए जाए जिससे कि योजना को सही प्रकार से लागू करने में सहायता मिले. हमें सूचना मिली है कि कुछ राज्यों में क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकें छः महीने में केवल एक बार होती है तथा वह भी केवल दिखावा मात्र के लिए. अक्सर ऐसी बैठकें केवल दो घंटे में ही सब काम समाप्त कर लेती हैं. हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की समितियां कितनी प्रभावशाली सिद्ध हो रही हैं. यह आवश्यक है कि ये समितियां अधिक सार्थक व प्रभावशाली ढंग से काम करें. यूनियन प्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वे इस योजना के कामों में अधिक दिलचस्पी लें तथा

इसमें सुधार करने की दिशा में अपनी भूमिका निभाएं. इस समय केंद्रीय बोर्ड आफ ट्रस्टीज के 33 सदस्यों में से केवल 6 सदस्य ही ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि हैं. इससे जाहिर है कि इस संस्था पर अफसरशाही का प्रभुत्व है. यह जरूरी है कि केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर बोर्ड आफ ट्रस्टीज में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए.

इस समय हमारी संस्था में केंद्रीय अथवा राज्य स्तर की किसी कमेटी के साथ संबंधित नहीं है. दूसरे शब्दों में भविष्य-निधि योजना के कामों में हमारी कोई भूमिका नहीं है. इस प्रकार की स्थिति को जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए तथा बड़ी केंद्रीय ट्रेन यूनियनों को कर्मचारी भविष्य निधि संस्था के बोर्ड आफ ट्रस्टीज में सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

भविष्य निधि संस्था में काम कर रहे 10 हजार कर्मचारियों को इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है. किंतु संस्था के वर्तमान प्रबंध में कर्मचारियों की सेवाओं को महत्व नहीं दिया जाता और न ही योजना को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझावों पर कोई ध्यान दिया जाता है. हालांकि 1971 से फेमिली पेंशन स्कीम तथा 1976 से डिपोजिट लिंक्ड इंशोरेंस स्कीम का अतिरिक्त भार इस संस्था पर डाला गया है तथा साथ-साथ इस योजना के सदस्यों की सख्या लगातार बढ़ रही है, इसके बावजूद इस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही. भविष्य निधि संस्था की वार्षिक रिपोर्ट संस्था के कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं देती. कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं जिनपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती. कर्मचारियों के वेतन व काम के हालात पर ाल ही में गठित कमेटी में कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया. हालांकि ट्रेड यूनियनों की मांग पर विभिन्न केंद्रों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, फिर भी कर्मचारियों की दिक्कतों व समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उन्हें दूर करने की दिशा में कोई कदम उठाए जाते हैं. कर्मचारी फर्नीचर तथा बैठने के स्थान की कमी के बारे में लगातार शिकायतें कर रहे हैं. पेनल स्थानांतरण तथा यूनियन के नेताओं के विक्टिमाइजेशन का सवाल भी काफी समय से चल रहा है जिससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है. हमारा सुझाव है कि केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर कर्मचारियों का एक-एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ ट्रस्टीज में अवश्य लिया जाए जिससे कि वे भी योजना को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन आशा करता है कि रिव्यू कमेटी हमारे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा संस्था के काम को सुधारने के लिए सही सिफारिशें प्रस्तुत करेगी.

कर्नाटक विधेयक के खिलाफ संपूर्ण हड़ताल

18 अगस्त को इंटक के अलावा सभी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही समिति ने कर्नाटक 'आवश्यक सेवा' विधेयक के खिलाफ एक दिन की राज्यव्यापी हड़ताल की जिससे राज्य के लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में काम-काज बंद हो गया.

बंगलोर के दो लाख संगठित मजदूरों में से लगभग सभी ने इसका समर्थन किया. सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग जिनमें एच. ए. एल., भेल, एच. एम. टी. और आई. टी. आई. है, बंद रहे. औद्योगिक और व्यापारिक कार्य और यातायात ठप्प रहा.

राज्य पुलिस ने हड़ताल को तोड़ने के लिए कई स्थानों पर शांत मजदूरों पर लाठी चलाई और आंसू गैस छोडी. सौ से भी ज्यादा मजदूर गिरफ्तार किये गये. सीटू की राज्य कमेटी ने कहा है कि सरकार को मजदूरों की जरुरतों को समझना चाहिए और इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए. कमेटी ने मजदूरों की तुरन्त रिहाई की भी मांग की है.

इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली में सीटू, एटक, एच. एम. एस. और बी. एम. एस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कर्नाटक के मजदूर वर्ग को बधाई दी. गयी. इस बयान ने इस संबंध में कहा कि कर्नाटक के गावों में किसानों ने तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने हाल ही में एक मजबूत संघर्ष छेडा है. बयान में महत्वपूर्ण संघर्ष में अपने संगठनों के समर्थन का आश्वासन भी दिया गया.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा मोदीनगर में हस्तक्षेप की मांग

सीटू सचिव एम. के. पंधे, एच. एम. एस. अध्यक्ष एस. वेंकटराम, एटक सचिव वाई. डी. शर्मा व बी. एम. एस सचिव ओ. पी. आधी ने 17 अगस्त को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

उत्तर प्रदेश में मोदीनगर में 15 हजार कपड़ा उद्योग के मजदूरों की हड़ताल 11 वें सप्ताह में पहुंच गई है किंतु फिर भी सरकार हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही. यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मजदूरों को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह द्वारा दिए गए पंचफैसले को लागू करवाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है.

संघर्ष को दबाने के लिए मालिकान व पुलिस अभूतपूर्व दमन का सहारा ले रहे हैं सैंकड़ों मजदूरों को मुअत्तिल किया जा चुका है व उन पर मुकदमे थोपे जा रहे हैं. मजदूरों को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है.

हम उत्तर प्रदेश की ट्रेड यूनियन संस्थाओं को इस बात पर मुबारकवाद देते हैं कि वे पूरी शक्ति से मजदूरों के संघर्ष में सहायता दे रहे हैं. हम केंद्रीय श्रम संगठनों की ओर से भी उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन देते हैं.

यह आश्चर्य की बात है कि एफ. आई. सी. सी. आई. (फिक्की) के अध्यक्ष मोदी

[शेष पृष्ठ दस पर]

जल परिवहन मजदूरों द्वारा आंदोलन की तैयारी

वाल ट्रांसपोर्ट वर्कज फैडरेशन आफ इंडिया की कार्यसमिति की बैठक 24 व 25 अगस्त को हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में हुई. बैठक में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि गोदी व बंदरगाह उद्योग में द्विपक्षीय वार्ता में अवरोध पैदा हो गया है. बैठक में मजदूरों का आह्वान किया गया कि वे गोदी व बंदरगाह मजदूरों के लिए अच्छे वेतनस्तर की मांग को मनवाने के संयुक्त संघर्ष करने के लिए तैयार रहें.

वार्ता में अवरोध आ जाने का कारण है बी. एम. एस. फैडरेशन द्वारा कोर्ट का यह आदेश प्राप्त करना कि उनके प्रतिनिधियों को वेतन-बातचीत में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने दिया जाए. सरकार तथा अन्य फेडरेशनों ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है. भारत सरकार भी बातचीत में टालमटोल नीति का सहारा ले रही है जिस कारण गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है. फेडरेशन की कार्यसमिति का विचार है कि जब तक मजदूरों का एक विशाल आंदोलन तैयार नहीं हो जाता तब तक सरकार अपना वर्तमान रुख नहीं बदलेगी.

एम. एम. लारेंस ने बैठक की अध्यक्षता की. फेडरेशन के महासचिव के.के. राय गांगुली ने कोचीन में फेडरेशन के दूसरे सम्मेलन में प्रस्तावित कार्यक्रम को अमल में लाने में हुई प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की. कार्यक्रम के अधिकतर मुद्दों को यूनियनों द्वारा अमल में लाया जा चुका है और इससे मजदूरों में उत्साह पैदा हो गया है. पिछले 4 महीने में फेडरेशन की गतिविधियों में वृद्धि हुई है. इसके समानान्तर फेडरेशन के कार्यकर्ताओं पर विक्टिमाइजेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं. मेंगलौर व ट्यूटीकोर्न में फेडरेशन कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है. बंबई में फेडरेशन के कार्यकर्ताओं पर प्रबंधकों के गुंडों द्वारा हमले होने के समाचार मिल रहे हैं.

विभिन्न केंद्रों के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हो रहे काम के बारे में रिपोर्ट पेश की. सभी सदस्यों ने फेडरेशन की सदस्य यूनियनों के खिलाफ प्रबंधकों द्वारा पक्षपातपूर्ण रवया अपनाए जाने की शिकायत की. उन्होंने यह भी बताया कि एच. एम. एस., इंटक व एटक के नेतृत्व केवल अधिकारियों से वेतन-बातचीत करना चाहते हैं किंतु इसके लिए वे मजदूरों के स्तर पर आंदोलन तैयार करके सही माहौल नहीं बनाना चाहते.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने अन्य उद्योगों में हुई वेतन-बातचीत के अनुभवों को बताया और इस बात पर जोर दिया कि बातचीत को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे आंदोलन के साथ समन्वित करके चलाया जाए. जहां एक ओर उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मजदूरों के मांगपत्र को मनवाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी फैडरेशनें संयुक्त रूप से आंदोलन चलाएं वहां दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि अपनी फैडरेशन का अलग अस्तित्व बनाए रखना व अपने तरीके से काम करना भी नितांत आवश्यक है.

एक प्रस्ताव द्वारा बैठक ने बंदरगाह अधिकारियों द्वारा मोबाईल संयंत्र सप्लाई करने के काम को ठेके पर देने के फैसले का विरोध किया. इसमें कंटेनराइजेशन व मशीनीकरण के प्रयत्नों का भी विरोध किया गया जिससे इन उद्योगों में नौकरी की संभावनाएं घट रही हैं. बैठक ने एक और प्रस्ताव द्वारा जरूरी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की और मांग की कि मूल्य स्तर कम करने के लिए कारगर उपाय किए जाएं. हाल ही के बोनस अध्यादेश की आलोचना भी की गई और यह निश्चय किया गया कि गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों को विलंबित मजदूरी के सिद्धांत पर आधारित बोनस मिलने के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए. बैठक में फैसला किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (आई. एल. ओ.) के सहयोग से जल परिवहन कर्मचारियों के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाए. बैठक में अपने मांगपत्र को मनवाने के लिए भारतीय नाविकों द्वारा किए जा रहे संघर्ष को समर्थन दिया गया.

कार्यसमिति के फैसलों को आम मजदूरों तक पहुंचाने के लिए बैठक के बाद एक आम सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में अन्य लोगों के अलावा एम. एम. लारेंस, के. पी. एस. मेनन, थंपी, दिनेश जबानपुत्र तथा लखन सेठ ने भाषण दिए.

हिंदुस्तान कंप्यूटर्स की कामगार महिलाओं का संघर्ष

हिंदुस्तान कंप्यूटर्स यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में फर्म की एक नई दिल्ली ग्रेटर कैलाश यूनिट की सभी 20 महिला कामगार तथा एकमात्र पुरुष कामगार 29 जुलाई से यूनिट के बाहर धरने पर हैं. नुकसान के बहाने प्रबंधकों ने यूनिट में गैरकानूनी तालाबंदी कर दी थी. लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां सीटू यूनियन बनने से झुंझला कर प्रबंधकों ने ऐसा किया तथा महिला कामगारों पर सीटू छोड़ने के लिए दबाव डाला. लेकिन प्रबंधक इसमें नाकामयाब रहे.

इस कंपनी में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन की भी भागीदारी हैं. यह कंपनी इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर आदि बनाती है. संघर्षरत कामगार 1976 से स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं. पिछले वर्ष इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताली संघर्ष करके वेतन वृद्धि, बोनस आदि जीता था.

ये कर्मचारी मुअत्तिल किए गए साथियों की बहाली, तालाबंदी तुरंत खत्म करने व बोनस आदि की मांग कर रहे हैं.

कर्मचारियों ने 14 अगस्त को नेहरू प्लेस स्थित मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा जनरल मजदूर लालझंडा यूनियन ओखला ने इसमें भाग लिया. गाजियाबाद स्थित मुख्य उत्पादन केंद्र के सामने 21 अगस्त को प्रदर्शन किया गया जिसमें गाजियाबाद यूनिट की कर्मचारियों ने भाग लिया तथा प्रोडक्शन मैनेजर को एक स्मरण पत्र दिया गया.

रेल समाचार

मिनिस्टेरियल स्टाफ द्वारा प्रदर्शन

आल इंडिया मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसियेशन के नेतृत्व में 3 हजार कर्मचारियों ने 8 अगस्त को संसद के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का उद्देश्य लोक सभा के स्पीकर के सामने अपना सामूहिक मांगपत्र रखना था. मांगपत्र पर 27,621 कर्मचारियों के हस्ताक्षर मौजूद थे. एसोसियेशन की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से मिला व उनको हालात से अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसियेशन के महासचिव सी. एम. सिंह तथा संसद सदस्य समर मुखर्जी ने किया. प्रदर्शनकारियों को बोट क्लब पर संबोधित करने वालों में संसद सदस्य समर मुखर्जी व बासुदेव आचार्य तथा सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती भी थे. एसोसियेशन ने सरकार द्वारा वर्तमान कम्प्यूटरों को बदल कर 3/4 जैनरेशन कम्प्यूटर लगाने के सरकार के निश्चय के विरोध में देश भर में कनवेंशन करने का निश्चय किया है. इस प्रस्तावित परिवर्तन को ध्यान में रखकर ही सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है.

कैरेज व वेगन स्टाफ का आंदोलन

पिछली 4 जून को आल इंडिया कैरेज व वैगन स्टाफ काउंसिल के अंतर्गत कैरेज व वैगन स्टाफ का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल रेलवे बोर्ड से मिला था. बातचीत के दौरान उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि एक पखवाड़े के भीतर उनकी मांगों पर फैसला ले लिया जाए. किंतु ऐसा कुछ भी न हुआ. अब 1 अगस्त को स्टाफ ने सभी शाखाओं में अधिकारियों के पास प्रतिनिधिमंडल भेजकर अल्टीमेटम दिया है तथा 16 अगस्त से असहयोग का आंदोलन शुरू कर दिया है. मांगों पर कोई जायज फैसला लेने के बजाय अधिकारी आंदोलन को दबाने की कोशिश में लगे हैं.

उत्तर-पूर्व रेलवे में लोको स्टाफ अशांत

28 जून के आंदोलन के बाद विक्टिमाइजेशन जारी रखने व आश्वासनों को पूरा न करने के कारण गोंडा लोको शैड के कर्मचारी क्षुब्ध हैं. इन हालात में उत्तर-पूर्व रेलवे लोको मकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन की जोनल बाडी के पास आंदोलन का रास्ता अपनाने के सिवा कोई रास्ता न रहा. एसोसियेशन के नेता जनरल मैनेजर के पास बातचीत के लिए गए किंतु उसने मिलने से इंकार कर दिया. अब एसोसियेशन के अध्यक्ष व क्षेत्रीय सचिव ने 25 अगस्त से गोरखपुर के मुख्य कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निश्चय किया है. यदि मांगों पर शीघ्र फैसला न किया गया तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है.

रेलवे कर्मचारियों को टेरीन-काटन की वर्दियां

यूनिफार्म कमेटी के सामने प्रमाण देते हुए आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने न केवल रेलवे कर्मचारियों को बेहतर कपड़े देने का समर्थन किया बल्कि इसके समर्थन में 'टेरीन काटन' कपड़ों का एक नमूना भी प्रस्तुत किया. कमेटी ने इस नमूने के लाभों को स्वीकार करते हुए टिप्पणी दी—"कमेटी को अच्छे किस्म के कपड़ों के नमूने दिखाए गए और उनके लाभों के बारे में बताया गया. जांच पड़ताल के बाद कमेटी ने इन्हें सही पाया. परिणामस्वरूप लोको रनिंग स्टाफ सहित सभी रेलवे कर्मचारियों को सेलूलर वर्दियों की जगह टेरीन काटन वर्दियां मिला करेंगी". एसोसियेशन के महासचिव ने रेलवे बोर्ड का ध्यान यूनिफार्म कमेटी की रिपोर्ट में कुछ कमियों की ओर दिलाया है जिसके अनुसार क्लीनरों को सर्दियों में गरम कपड़ों से वंचित रखा गया है. इस बारे में यूनिफार्म कमेटी ने एसोसियेशन की पहलकदमी को तरजीह न देते हुए केवल यह लिखा है कि "कुछ लोको रनिंग कर्मचारियों" ने वर्दियों के नमूने पेश किए.

तालमेल को कोशिशें

रेलवे एम्पलाईज कनफेडरेशन, आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन तथा अन्य संस्थाओं के महासचिवों की एक बैठक 9 अगस्त को दिल्ली में हुई. इसमें अप्रैल 1980 में जारी की गई संयुक्त अपील पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का जायजा लिया गया. बैठक ने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि रेलवे कर्मचारियों में उत्साह व उमंग भरा हुआ है. यह महसूस किया गया कि आचार संहिता जैसे कई सवालों तथा कर्मचारियों में एकता बनाने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर व्यापक बहस की आवश्यकता है. इसके बाद ही क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन किए जाने चाहिए. महासचिव ने बैठक में रेलवे कर्मचारियों की समस्या पर अपने दृष्टिकोण के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया. यह महसूस किया गया कि सभी संस्थाओं को इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिएं तथा 19 सितंबर को पांचों संस्थाओं के महासचिवों को मिलकर बैठक करनी चाहिए. 20 सितंबर को घटक इकाइयों के महासचिवों तथा एन. एफ. आर., एस. ई. आर. तथा एस. आर की समन्वय समितियों से बातचीत कर भविष्य में आंदोलन का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए.

सीटू का
नवीनतम प्रकाशन

खदानों में कामगार महिलाओं की दशा

(हिंदी)

कीमत 75 पैसे

लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

असम के मजदूर वर्ग को सीटू की बधाई

सीटू की असम राज्य समिति की बैठक 15 अगस्त को गोहाटी में हुई. बैठक की अध्यक्षता राज्य समिति के अध्यक्ष सूरेन हजारिका ने की. बैठक में सीटू कार्य-समिति के सदस्यों दीनेन भट्टाचार्य व तरुण सेनगुप्त के निधन पर शोक प्रकट किया गया. बैठक में हाल ही में हुई मदन ठेका (एस. एफ. आइ.), मबहाब बर्मन (किसान सभा), पवाली अग्रवाल तथा बादल साहा की नृशंस हत्याओं की भर्त्सना की गई. इसमें मांग की गई कि हत्यारों को सख्त सजाएं दी जाए व मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए.

राज्य समिति के उपाध्यक्ष अचिंत्य भट्टाचार्य ने अपने उद्घाटन भाषण में देश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति की व्याख्या की. उन्होंने मजदूर वर्ग के सघर्षो के सदर्भ में असम में चल रहे वर्तमान आंदोलन के स्वरूप व उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला.

राज्य समिति के महासचिव अमल घोष दस्तिदार ने सीटू की पिछले एक वर्ष की गतिविधियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि वर्तमान असम आंदोलन का इतना प्रभाव मजदूर वर्ग पर नही पड़ा है जितना की मध्यवर्गीय संस्थाओं पर पड़ा है. उन्होंने सीटू कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी की उन्होंने अपमान और हमलों के माहौल में भी सीटू की वर्ग विचारधारा की रक्षा की. उन्होंने बताया कि असम आंदोलन द्वारा पैदा किए गए गलत माहौल और सीटू की सीमित क्षमता के बावजूद सीटू ने फैक्ट्री स्तर के कई संघर्षों का नेतृत्व किया या इनमें पूरे जोर से भाग लिया. अधिकतर ऐसे उदाहरणों में मजदूरों ने शानदार जीतें हासिल कीं. इन सफलताओं में कई नए वेतन समझौते करना, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक बोनस प्राप्त करना तथा 21 अप्रैल को अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप मे मनाना शामिल हैं.

महासचिव ने आगे बताया कि वर्तमान आंदोलनकर्ताओं ने एक मई को 'सफेद झंडा दिवस' के रूप में मनाया तथा अनेक स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए किंतु इन सुनियोजित प्रयत्नों के बावजूद अधिकतर स्थानों पर मई दिवस संयुक्त रूप से तथा सफलतापूर्वक मनाया गया. वर्तमान आंदोलनकर्ताओं द्वारा हमलों के दौरान सिलिघाट जूट मिल्ज यूनियन के अध्यक्ष, महासचिव व 7 कार्यकर्ताओं को इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा.

अमल घोष दस्तिदार ने बताया कि वर्तमान आंदोलन की आड़ में प्लाइवुड उद्योग, असम कोआपरेटिव जूट मिल तथा बिल्ड वर्थ ने सैकड़ों मजदूरों को छंटनी दिया कर तथा कई सीटू यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी. किंतु इस बीच 4 चाय बागानों के मजदूरों ने अपने आपको इंटक से अलग कर लिया और सीटू में शामिल हो गए. महासचिव ने वर्तमान आंदोलन पर सीटू के दृष्टिकोण को भी समझाया.

बैठक ने अपने प्रस्तावों में सिलिघाट जूट व बिल्डवर्थ मजदूरों पर हमलों की निंदा की, इंजीनियरिंग व प्लाईवुड मजदूरों के लिए नए वेतनमानों की मांग की, प्लाईवुड के संचालन पर लगी रोक उठाने को कहा, पिछले वर्ष के सभी विक्टिमाइज किए गए मजदूरों की बहाली के लिए आवाज उठाई व प्लांटेशन मजदूरों के लिए बने वेतन आयोग में सीटू को शामिल किए जाने की मांग की.

राज्य समिति ने राज्य काउंसिल की बैठक तथा चाय व मोटर मजदूरों के लिए दो विशेष राज्य सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया. इसमें सूचना बुलेटि छापने तथा आल इंडिया जूट वर्कर्ज कान-फ्रेंस तथा वर्किंग वूमेन कंनवेंशन में अपने प्रतिनिधि भेजने का भी निश्चय किया. बैठक में सभी सीटू यूनियनों से अपील की गई कि वे सीटू संस्था को मजबूत बनाएं तथा सीटू की सदस्य संख्या को बढ़ाएं जिससे कि आने वाले कठिन दिनों में सीटू मजबूती से अपनी भूमिका निभा सके.

गोहाटी में सीटू दफ्तर पर हमला

सीटू की असम राज्य कमेटी के गोहाटी में उझनबाजार स्थित दफ्तर पर 17 अगस्त की शाम को 5 बजे कुछ गुण्डों द्वारा आक्रमण किया गया. उन्होंने कुछ आफिस फाइलें व पेपर तथा रेकार्ड प्लेयर को तहस-नहस कर दिया तथा साइनबोर्ड को उतार दिया.

18 अगस्त को एक बयान में सीटू की असम राज्य कमेटी के महासचिव ने इस आक्रमण की जबरदस्त निंदा की और राज्य की जनवादी अवाम को तथा खासतौर से मजदूर वर्ग के जनवादी संगठनों पर होने वाले ऐसे आक्रमणों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की. सीटू दफ्तर पर इस प्रकार का यह चौथा आक्रमण है.

असम सीटू ने, असमी साप्ताहिक 'कलाखार' पर और जनवादी विद्यार्थी और युवकों के संगठनों की कोआर्डिनेशन कमेटी की उसी दिन हुई आम बैठक पर हुए आक्रमणों की भी निंदा की. इसे पूरा विश्वास है कि ये तीनों आक्रमण एक प्रकार के हैं और पूर्व नियोजित ढंग से किये गये है. राज्य कमेटी ने, सरकार से गुंडों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है.

जे. के. जूट मिल कानपुर के श्रमिकों को 18% बोनस

जे. के. जूट मिल कानपुर के श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच 1979 के बोनस को लेकर उत्पन्न विवाद 5 अगस्त 1980 को हुए समझौते के द्वारा समाप्त हो गया.

श्रमिकों ने 1979 के उत्पादन और कारखाने में हुए मुनाफे के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस की मांग की थी. प्रबंधक केवल 8.33 प्रतिशत बोनस ही देना चाहते थे.

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

सीमावर्ती सड़क संस्थान में दमन व आतंक : सीटू द्वारा आई.एल.ओ. को शिकायत

केंद्र सरकार के परिवहन व जहाजरानी मंत्रालय के अधीन काम कर रहे सीमावर्ती सड़क संस्थान (बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन) में दमन व आतंक का वातावरण बना हुआ है. इस संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, यूनियन के फंड को जब्त किया जा रहा है, बिना मुकदमा चलाए कर्मचारियों को जेलों में रखा जा रहा है तथा उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो वे इस संस्थान के कर्मचारी न होकर विदेशी युद्धबंदी हों. अंतर्राष्ट्रीय श्रमसंस्थान (आई. एल. ओ.), जेनेवा के महानिदेशक के नाम लिखे एक पत्र में सीटू महासचिव पी. राममूर्ति ने इस प्रकार के अनेक तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके हालात को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे.

पक्षपातपूर्ण नियम

बोर्डर रोड्स डैवलैपमेंट बोर्ड्स की स्थापना 1960 में सीमावर्ती तथा पहाडी क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के लिए की गई. 20 नवंबर 1969 को इस संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया. इन कर्मचारियों को सैंट्रल सिविल सर्विस रूल्ज 1965 के तहत रखा गया. किंतु साथ ही यह भी कहा गया कि संस्थान में तथाकथित अनुशासन बनाए रखने के लिए आर्मी एक्ट 1950 तथा आर्मी रूल्ज 1954 की कुछ धाराएं भी उनपर लागू होंगी. ये दो प्रकार की सेवाशर्तें परस्पर-विरोधी हैं. इस नागरिक संस्थान के कर्मचारियों पर सेना के नियमों को लागू करना कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध जाता है व इससे सरकार को दमन का आसान यंत्र मिल जाता है.

वैमनस्य

इस संस्थान के महत्वपूर्ण पद सेना के अधिकारियों को दिए जाते हैं. इन अधिकारियों को कई प्रकार के लाभ व विशेषाधिकार मिलते हैं जिनसे संस्थान के कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है. दोषी होने पर इन व्यक्तियों पर सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अंतर्गत मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता. इस प्रकार इन सैनिक अधिकारियों व बी. आर. ओ. के कर्मचारियों के बीच भारी मतभेद किया जाता है. सेना की ओर से बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा बी. आर. ओ. में घुसने व सभी उच्च व मध्य श्रेणी के पदों पर अधिकार करने से कर्मचारियों के पदोन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं जिससे उनमें अशांति फैलती है. इस प्रकार के भेदभावों ने बी. आर. ओ. के नागरिक कर्मचारियों व कुछ मुट्ठी भर सैनिक अधिकारियों के बीच वमनस्य पैदा कर दिया है.

मांगपत्र

हालात को सुधारने के सभी रास्ते असफल हो जाने के बाद कर्मचारियों ने 15 अगस्त 1978 को तेजपुर (असम) में आल इंडिया बोर्डर रोड्स एम्पलाइज एसोसियेशन का गठन किया. एसोसियेशन के पदाधिकारियों का चयन हुआ व यह निश्चय किया गया कि देश भर में फैले बोर्डर रोड्स के कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस एसोसियेशन के द्वारा समन्वित किया जाए. एसोसियेशन ने अपना मांगपत्र संस्थान के डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा 22 सितंबर 1979 को सरकार के पास दाखिल किया. कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं—एसोसियेशन की मान्यता, बेहतर वेतनमान, नौकरी की सुरक्षा, अच्छे जीवनयापन के अवसर.

युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार

बदले की भावना से प्रेरित होकर संस्थान के अधिकारियों ने 14 दिसंबर 1979 को एसोसियेशन के कार्यालय पर धावा बोल दिया व कई महत्वपूर्ण कागजात व नकदी ले गए. उन्होंने एसोसियेशन के महासचिव आर. विश्वन को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उनके घर पर छापा मारा. किंतु वह उस समय घर पर न होने के कारण गिरफ्तार न हो सके. एसोसियेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया व उन्हें पीटा गया. 15 दिसंबर को कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर के कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और मांग की कि उनके गिरफ्तार नेताओं व साथियों को रिहा कर दिया जाए. चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर एम. एस. गोसाईं ने कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला ली. किंतु पुलिस ने कर्मचारियों को गिरफ्तार करने से साफ इंकार कर दिया क्योंकि इनके विचार में कर्मचारियों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था व कानून तथा व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता था. तब चीफ इंजीनियर ने सेना को बुलाया तथा 355 कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाया. इन कर्मचारियों को तेजपुर से 50 मील दूर एक स्थान पर ले जाया गया तथा कई महीनों युद्धबंदियों की तरह कोठरियों में रखा गया. उनके लिए भोजन, पानी व बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था न थी.

इन गिरफ्तारियों के विरोध में बी. आर. ओ. की अन्य इकाइयों के कर्मचारियों ने इस मांग के लिए काम रोक दिया कि उनके गिरफ्तार साथियों को तत्काल रिहा कर दिया जाए. इन कर्मचारियों का भी वही हश्र हुआ. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी औरतों के साथ उनकी गैरहाजरी में बलात्कार किया गया, सही दवा व देखभाल के अभाव में उनके कई बच्चों ने दम तोड़ दिये. महासचिव व अन्य सात पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं. वे इनसे बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं.

सीटू ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान से कहा है कि वह दमन व आतंक के इस माहौल को खत्म करवाने व कर्मचारियों के जनवादी अधिकारों को बहाल करवाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे.

शीतलदासजी कोयला खदान में भयंकर आग : जान माल को खतरा

खदानों में बुरी व्यवस्था और खदान सुरक्षा कानूनों में लापरवाही के कारण कभी-कभी खदानों में आग व गैस के फैलाव के खतरे के कारण आस-पास के गांवों व शहरों के लोगों की जान माल को खतरा बना रहता है. खदानों में से निकलने वाला गहरा धुंआ व कालिख भी खदान इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन गये हैं. फेफड़ों में धुंए के जमाव व बार-बार उल्टियां आदि होने की बीमारियों में अब बहुत वृद्धि हो गई है.

अनदेखी : इन अधिकारियों ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कानून को तोड़ने के हर प्रयत्नों को बढ़ावा दिया है. अनिवार्य सुरक्षा कानूनों को अनदेखा करके अधिकारियों ने जान व माल को खतरे में डाल दिया है. इसको सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण हैं जिनमें से शीतलदासजी खदान में लगी आग ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ई.सी.एल.), रानीगंज कोयला क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा किये गये घोर अपराधों का एक जघन्य उदाहरण है.

खतरा : शीतलदासजी कोयला खदान में लगी आग की लपटें 200 फुट ऊपर उठी थी जो 5 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आती थी. 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर पड़ने वाले गांवों और कोयला खदानों को आग के कारण खतरा बना हुआ है. अधिकारियों ने इस आग को फैलने से रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये हैं. आग को केवल ऊपर से ढकने का मात्र कदम भी बहुत ही देर और आधे मन से उठाया गया. लेकिन इसके कारण आग अंदर ही अंदर और आस-पास के क्षेत्रों में तेजी से फैलती जा रही है. इसीलिए यह पूरा क्षेत्र आग व विस्फोट के खतरे में डूबा है और यह कोई नहीं जानता कि किस समय आग की लपटें दुगनी भयंकरता से फिर से उठ पड़ेंगी और सब कुछ नष्ट कर देंगी.

क्रूर व अलग-थलग : कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया (सी. एम. एस. आई) (सीटू) ने अनगिनत बार खदान में फैली इस आग व गैस के खतरे की समस्या को हल करने के लिए ई. सी. एल. अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और बताया कि इसके लिए पूरी और ठीक तरह से मिट्टी को भरना, स्थाई व फैलने वाली आग को रोकने के लिए आपतकालीन साधन जुटाना आदि सुरक्षा कानूनों को तुरंत सख्ती से लागू किया जाए. ये दुर्घटनाएं, खदानों में सतह का गिरना, अचानक आग लगना, गैस का धमाका होना आदि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. सुरक्षा के कदमों को अपनाने आदि की बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद रानीगंज कोयला क्षेत्र का काफी बड़ा भाग आखिरकार अधिकारियों ने मानव जीवन के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया. लेकिन जनता की भलाई से तो उनका संबंध ही नहीं लगता. हालात की गम्भीरता और इसके लिए अपनी जिम्मेदारियों के बारे में यदि वे थोड़े भी सजग होते तो वे इस भयानक व गम्भीर स्थिति में इतने क्रूर व अलग-थलग न रहते.

मांग : सी. एम. एस. आई के सचिव संतोष दत्त ने उस क्षेत्र के मेहनतकश जनता के साथ अपनी पूरी हमदर्दी रखते हुए इससे संबंधित समूचे अवाम से यह अपील की है कि इस कोयला क्षेत्र में होने वाली सब बुराइयों को सुधारने के लिए जरूरी कदम लेने और सर्वनाश की संभवना को दूर करने के लिए जुझारु संघर्ष करें. हालात की गम्भीरता को ध्यान रखते हुए उन्होंने इस भयानक आग को लगने के कारणों की जांच के लिए कानूनी जांच-पड़ताल की तथा सुरक्षा-उत्तरदायित्व सौंपने की मांग की है. उन्होंने खदानों में इस प्रकार की आग को या गैस के विस्फोट को रोकने के लिए कुछ उपायों को भी सुझाया है और आसपास के गांव की जनता व खदान मजदूरों की सुरक्षा के लिए उपाय निकालने की मांग की है.

एच. एस. सी. एल : बातचीत में रुकावट

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, विशेषकर इंटक, के नकारात्मक रवैये के कारण द्विपक्षीय वेतन वार्ता में रुकावट आ गयी है.

द्विपक्षीय मंच में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के सवाल को सुलझाने के लिए सीटू ने सदा से ही गुप्त मतदान के तरीके का समर्थन किया है. इंटक गुप्त मतदान का विरोध करती है जबकि एटक के विचार में एच. एस. सी. एल. में गुप्त मतदान के आधार पर प्रतिनिधित्व का निर्णय करना व्यावहारिक नहीं है. कुछ समय बाद केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की आपसी बातचीत के बाद यह निश्चय किया गया था कि द्विपक्षीय वार्ता में मजदूरों की ओर से सीटू व इंटक के 5-5 प्रतिनिधि, एटक व बी. एम. एस. के 3-3, एच. एम. एस. के 2 व आजाद यूनियनों के 3 प्रतिनिधि भाग लेंगे.

द्विपक्षीय मंच बनने के बाद इंटक व एच. एम. एस. यूनियनों की ओर से विरोध की आवाजें आने लगीं. इटक ने तो मंच का ही बहिष्कार कर दिया. इसके बावजूद सीटू, एच. एम. एस., एटक व बी. एम. एस. की ओर से संयुक्त मांगपत्र दाखिल किया गया.

[शेष पृष्ठ दस पर]

एच. एस. सी. एल.....

[पृष्ठ नौ से आगे]

नई दिल्ली में तीन बार अनौपचारिक बातचीत में यह सुझाव आया कि मजदूरों के संयुक्त मंच में सीटू, एच. एम. एस., इंटक व एटक का ही प्रतिनिधित्व हो. क्योंकि इंटक सीटू से अधिक सीटों की मांग कर रही थी इसलिए विभिन्न ट्रेड यूनियन संस्थाओं को दी जाने वाली सीटों के बारे में सहमति न हो पाई. अफसोस की बात है कि एटक ने भी कमोवेश रूप में इंटक का ही साथ दिया.

दो अगस्त को हुई अंतिम बैठक में जबकि सीटू ने गुप्त मतदान के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करने को दुहराया, एटक ने एक नया फार्मूला दिया जिसमें सीटों का बंटवारा इस प्रकार था—इंटक-7, सीटू-5, एटक-5 व एच. एम. एस.-3. सीटू ने इस फार्मूले का विरोध किया क्योंकि यह मजदूरों में विभिन्न ट्रेड यूनियन संस्थाओं की सही शक्ति को नहीं दर्शाता था. इंटक वर्तमान राजनीतिक हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और एटक इन इरादों में उनका साथ दे रही है. ऐसा लगता है कि प्रबंधक प्रतिनिधियों के सवाल का फैसला सरकार पर छोड़ देंगे और इंटक सरकार पर दबाव डालकर फैसला अपने हित में करवा लेगी.

इन हालात में सरकार व प्रबंधकों पर दबाव डालने के लिए सीटू ने अपनी यूनियन का आह्वान किया है कि वे निम्न मुद्दों पर एच. एस. सी. एल. मजदूरों के आंदोलन को तेज करें—गुप्त मतदान के आधार पर एच. एस. सी. एल. में संयुक्त मंच की स्थापना हो, हैदराबाद में 5 ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए मुअत्तिली आदेश वापस ले लिए जाएं, ठेका प्रणाली समाप्त की जाय व इसके स्थान पर नियमित कर्मचारियों से काम लिया जाय, मजदूरों की छंटनी बंद हो तथा एच. एस. सी. एल. में फैले भ्रष्टाचार को रोका जाए. एच. एस. सी एल. यूनियनों की अगली बैठक 15 सितंबर को कन्नानोर में होगी जहां देशव्यापी स्तर पर संयुक्त आंदोलन चलाने पर विचार होगा.

बोनस अध्यादेश ने आशाओं पर पानी फेरा

सी. आई. टी. यू. के महासचिव सांसद पी. राममूर्ति ने 23 अगस्त को यह बयान जारी किया :

कुछ मंत्रियों सहित सरकारी प्रवक्ताओं ने अपने बयानों द्वारा यह प्रभाव पैदा किया था कि बोनस कानून की पूरी तरह समीक्षा की जाएगी जिससे मजदूरों में आशा की किरण फैल गई थी. लेकिन अध्यादेश ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया.

जहां तक कम से कम 8.33% बोनस का संबंध उन उद्योगों से है जिनमें पहले से ही यह लागू है, अब यह स्थाई हो गया है इसलिए इस हद तक तो विलंबित वेतन का सिद्धान्त स्वीकारा गया है, लेकिन इसका सीमाक्षेत्र आगे नहीं बढ़ाया गया इसीलिए इसमें कोई नयी बात नहीं है हालांकि संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसके सीमाक्षेत्र के अंतर्गत सभी मजदूरों को लेने की मांग की थी. इस अध्यादेश में बोनस पर अन्तिम सीमा लगाने का मतलब है कि मजदूर को अपने परिश्रम से जोड़े गए मूल्य का अपना हिस्सा नहीं मिलेगा जबकि प्रबंधकों के लाभों या लाभाशों पर कोई अंतिम सीमा नहीं लगाई गई जिससे वे अपना मनचाहा हिस्सा ले सकते हैं.

सीटू सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती है और मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह बोनस के सीमाक्षेत्र के विस्तार और बोनस से अंतिम सीमा को हटाने के लिए शक्तिशाली एकजुट आंदोलन करें.

मोदी नगर.....

[पृष्ठ चार से आगे]

प्रधानमंत्री के साथ औद्योगिक संबंधों पर हुई अपनी बैठक में एक ओर तो औद्योगिक शांति व सद्भाव की इच्छा जाहिर करते हैं और दूसरी ओर मोदीनगर में अपने ही मजदूरों का दमन कर रहे हैं. हम केंद्रीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे जिससे कि यह लंबी हड़ताल जल्दी समाप्त हो जाए.

हम मोदीनगर के कपड़ा मजदूरों से अपील करते हैं कि वे अपने संघर्ष में एकता बनाए रखें व तब तक संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती.

कामरेड सुहृद मल्लिक चौधरी

सीटू के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के जाने माने ट्रेड यूनियन नेता, कामरेड सुहृद मल्लिक चौधुरी का 23 अगस्त को कलकत्ता में दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया.

कामरेड चौधुरी तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और फारवर्ड ब्लाक में सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी बने. बाद में वे ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हुए और कई वर्षों तक एटक की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य रहे. सीटू के स्थापना सम्मेलन में वे उपाध्यक्ष चुने गए और अत तक वे उपाध्यक्ष रहे.

वे दो बार पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चुने गए और एक बार राज्य सभा के लिए चुने गए.

कई वर्षों तक कामरेड चौधुरी फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सवादी) के महासचिव रहे. वे आल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष भी थे.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज और सीटू मजदूर कामरेड सुहृद मल्लिक चौधुरी की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं तथा सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी तथा शोकग्रस्त परिवार के सदस्यों को हार्दिक संवेदना भेजते हैं

कन्नानोर में जनरल काउंसिल की बैठक के लिए बढ़ो

जैसा कि पहले घोषणा की जा चुकी है, सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक कन्नानोर में 11-14 सितंबर को होगी. मद्रास में पिछले वर्ष आयोजित सीटू के चौथे सम्मेलन के बाद जनरल काउंसिल की यह चूंकि पहली बैठक है इसलिए इस बैठक में पिछले एक साल की सीटू की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी. और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आगे कार्यविधियों के लिए उपयुक्त फैसले लिए जाएंगे.

कन्नानोर में सी. कन्नन की अध्यक्षता में स्वागत समिति ने जनरल काउंसिल की बैठक के लिए तथा सदस्यों के स्वागत के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं. सड़क परिवहन, बिजली, प्लांटेशन, बीड़ी और अन्य उद्योगों की उद्योगानुसार बैठकें 10 सितंबर को होंगी, जब कि कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन इंजीनियरिंग उद्योग की यूनियनों की बैठक 15 सितंबर को होगी. सीटू का केंद्रीय कार्यालय कन्नानोर में 10 सितंबर से काम करने लगेगा.

सितंबर में तमिलनाडु सीटू कानफ्रेंस

सीटू की तमिलनाडु राज्य कमेटी की तीसरी कानफ्रेंस 18 से 21 सितंबर को तिरुचिरापल्ली जो ट्रेड यूनियन आंदोलनों का कद्र है, में होगी. 9 और 10 अगस्त को मद्रास में हुई राज्य कमेटी की बैठक ने विधानसभा सदस्य के. रमणी की अध्यक्षता में कानफ्रेंस के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में विचार किया. इस बैठक ने, संबोधित यूनियनों को कानफ्रेंस को सफल बनाने का और कानफ्रेंस के अन्तिम दिन होने वाली जनसभा के लिए लोगों को एकत्रित करने का आह्वान किया.

कानफ्रेंस के प्रचार के लिए 5 सितंबर को झंडा-दिवस मनाया जाएगा. लाल झंडे फहराये जाएंगें और गेट मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा. कमेटी ने, मजदूर वर्ग को कीमत-वृद्धि के खिलाफ अभियान में भाग लेने का भी आह्वान किया है. इसने मजदूरों की समस्याओं पर कई प्रस्ताव अपनाए.

सफल केरल बंद

सीटू व कुछ अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूरों और कर्मचारियों ने केंद्र द्वारा केरल की उपेक्षा किए जाने के खिलाफ 18 अगस्त को आम हड़ताल की. राज्य में आम जन-जीवन एकदम ठप्प हो गया.

यातायात बंद रहा. दुकानें बंद रहीं. शिक्षा संस्थान नहीं खुले, परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं. हस्पताल, जल, दूध, बिजली और समाचार पत्रों की सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी. राज्य बंद संपूर्ण तथा शांतिपूर्ण था.

मजदूरों व कर्मचारियों द्वारा 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस, रथ कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण आदि की मांगों पर जोर दिया गया. उन्होंने केंद्रीय सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा इसके केरल के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये का कड़ा विरोध किया. हाल ही के समय में केरल में ट्रेड यूनियनों द्वारा यह सबसे बड़ी कार्यवाही थी.

कानपुर जूट श्रमिक.....

[पृष्ठ सात से आगे]

1979 के लिए बोनस की मांग को लेकर जे. के. जूट मिल मजदूर पंचायत (सीटू) सहित कारखाने में कार्यरत समस्त ट्रेड यूनियन संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर संघर्ष किया गया.

श्रमिकों के रोष को देखते हुए प्रबंधकों ने बोनस के सवाल पर श्रमिक प्रतिनिधियों से वार्त्ता प्रारंभ की और 18 प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया. यह समझौता ऐसी परिस्थिति में हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार मजदूर आंदोलन में रुकावटें डालकर उन्हें तोड़ने और मालिकों को मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं.

त्रिपुरा फंड

महाराष्ट्र में, 30 जुलाई को नासिक वर्कर्स यूनियन (सीटू) की जनरल बाडी मीटिंग हुई जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की वामपंथी तथा जनवादी ताकतों के साथ, जिन्हें फूट डालने वाले आंदोलन के कारण हो रहे आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी हमदर्दी दर्शायी और 1,000 रु. का चैक सहायतार्थ भेजा.

बिहार स्टेट सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव्ज यूनियन ने 500 रुपये त्रिपुरा मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजे हैं. इसके आलावा यूनियन के सदस्यों, परिवारों व दोस्तों ने व्यक्तिगत तौर पर चंदा इकट्ठा करके 1287 रुपये मुख्यमंत्री को भेजे हैं. इस राशि के साथ लगभग 10,000 रुपये की दवाइयां भी भेजी गई हैं जिन्हें डाक्टरों व कैमिस्टों आदि से इकट्ठा किया गया था.

अपनी यूनियन के 1100 सदस्यों, परिवार व मित्रों की त्रिपुरा की जनता व वाम मोर्चा सरकार के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए यूनियन ने मुख्य-मंत्री नृपेन चक्रवर्ती को अगस्त 4 को कहा है कि वे कपड़े व अन्य वस्तुएं आदि शीघ्र ही त्रिपुरा भेज रहे हैं.

दिल्ली राज्य कमेटी ने 2000 रुपये कामरेड नृपेन चक्रवर्ती, मुख्य मंत्री, त्रिपुरा को उनकी 29 अगस्त को नई दिल्ली यात्रा के दौरान सहायता कोष के लिए दिए हैं. इसके अलावा दिल्ली कमेटी सहायता राशि इकट्ठा कर रही है.

जे. के. रेयन वर्कर्स यूनियन, कान-पुर, ने 100 रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में भेजे है.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर पचास पैसे

वार्षिक चंदा छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

संयुक्त कार्यवाही के लिए कामगार महिला समिति का आह्वान

कामगार महिलाओं की आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक 9 और 10 अगस्त को जयपुर में हुई. इस बैठक में मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद के पांच महीनों के काम का ब्यौरा दिया गया तथा भविष्य के लिए इसके कार्यक्रमों के बारे में विचार किया गया.

इस बैठक में, महिलाओं की उन विशेष समस्याओं पर विचार किया गया जिन्हें यूनियनें नहीं समझ पाती और अनदेखी कर देती हैं. अफसरों की कामुकता द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाना एक ऐसी समस्या है जो काम की हमेशा परीक्षा की घड़ी बना देता हैं. इस प्रकार के सवाल केवल यूनियनों के द्वारा ही सुलझाये जा सकते हैं. ये समस्याएं कामगार महिलाओं व पुरुषों की समान समस्याओं के अलावा हैं. ये सब कोआर्डिनेशन कमेटियों व उनके उद्देश्यों की जरूरत पर प्रकाश डालते हैं.

आल इंडिया कोआर्डिनेशन ने सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों और अन्य ट्रेड यूनियन फेडरेशनों से यह अनुरोध करने का फैसला किया है कि वे अपनी यूनियनों में ही विशेष समितियां बनाए जो अपने इलाकों की महिला मजदूरों व कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगी. कमेटी ने, अन्य ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों के सहयोग से नवंबर में अखिल भारतीय कामगार महिला सम्मेलन आयोजित करने का भी निश्चय किया है. कमेटी ने अपनी सभी कोआर्डिनेशन कमेटियों का आह्वान किया हैं कि वे कामगार महिलाओं को एकजुट करें और यह समझाएं कि वे न केवल ट्रेड यूनियनों की सदस्य बनें बल्कि उसमें सक्रियता से भाग भी लें ताकि उनकी विशेष समस्याएं आम मजदूर बर्ग की ट्रेड यूनियन और जनवादी मांगों का हिस्सा बन सकें. उन्हें ट्रेड यूनियन कमेटियों में अपना उपयुक्त प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करना चाहिए.

रिपोर्ट में महिलाओं और खासतौर से कामगार महिलाओं पर होने वाले बलात्कारों, जैसे बाघपत का शर्मनाक कांड के खिलाफ अपना जबर्दस्त रोष प्रकट किया गया. बैठक में, कामगार महिलाओं का आह्वान किया गया कि वे ऐसी घटनाओं के खिलाफ और विशेषत: पुलिस के इन घटनाओं में हाथ होने व पुलिस चौकी को इन घोर अपराधों के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ जोरदार संघर्ष करें. कामगार महिलाओं की अन्य प्रमुख समस्याओं में रोजगार, वेतन, उन्नति और प्रशिक्षण में लगातार भेदभाव करना है.

बैठक के अंत में, मजदूर नगर कच्ची बस्ती में महिलाओं की एक आम सभा हुई जिसमें 800 से भी ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया. कुछ महिलाएं किशनगढ़, उदयपुर और बीवाड से भी आई थी. उदयपुर की एक आदिवासी नेता एस. मीना ने अध्यक्षता की और उन्होंने आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की. कंचन शर्मा ने कमेटी के फैसले बताये और अहिल्या रांगणेकर और सांसद सुशीला गोपालन ने मीटिंग को संबोधित किया. तमिलनाडु की सरस्वती और भिलाई की रुकमणी ने महिलाओं को उनके संघर्ष पर बधाई दी. कच्ची बस्ती फेडरेशन की 'नेताइन' ने महिलाओं को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया.

पश्चिम बंगाल समाचार

नैशनल टोबेको मजदूरों की जीत

एकाधिकारी गोयनका घराने के स्वामित्व वाली नैशनल टोबेको कंपनी के प्रबंधकों ने अगरपरा फैक्ट्री में 1975 में एमर्जेंसी के दौरान 1180 मजदूरों की गैरकानूनी तरीके से छंटनी की थी. 1977 के लोक सभा चुनावों के बाद सीटू संबद्ध एन. टी. सी. मजदूर यूनियन ने इन छंटनी किए गए मजदूरों की बहाली के लिए आंदोलन छेड़ा. आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रबंधकों को मजदूरों को वापिस लेने पर मजबूर होना पड़ा. इस साल मार्च तक 553 मजदूरों को बहाल कर दिया गया है.

27 जुलाई को हुई द्विपक्षीय वार्ता में प्रबंधकों व फैक्ट्री में काम कर रही तीनों यूनियनों के प्रतिनिधियों में समझौता हो गया जिसके अनुसार प्रबंधकों ने अगस्त 1980 तक सभी छटनी किए गए मजदूरों को वापिस ले लेने का आश्वासन दिया है.

भारतीय स्टील मजदूरों की मांगें मानी गयी

कलकत्ता की भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील कंपनी के मजदूरों द्वारा अपना मांगपत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद प्रबंधकों ने तालाबंदी की घोषणा कर दी थी. मांगपत्र में प्रस्तुत मांगों में पदोन्नती, उत्पादन बोनस, लीव ट्रैवल भत्ता व अवकाश प्राप्ति के बाद कर्मचारी के परिवार में से किसी एक को नौकरी मिलना प्रमुख थीं. सीटू व एटक यूनियनों के नेतृत्व में मजदूरों ने तालाबंदी के खिलाफ 76 दिन तक संघर्ष किया. अन्त में 7 अगस्त को समझौते के बाद तालाबंदी उठा ली गई. कारखाने में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीनों यूनियनों व प्रबंधकों के बीच यह समझौता उप श्रम आयुक्त के कार्यालय में हुआ. प्रबंधकों को झुकना पड़ा व मजदूरों की अधिकतम मांगों को मान लेना पड़ा. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हुई गेट मीटिंग में तीनों यूनियनों के नेताओं ने मजदूरों को संबोधित किया.

समझौते के अनुसार, प्रति दो वर्षों में कम से कम 20 प्रतिशत मजदूरों की पदोन्नति होगी जबकि पहले केवल 3 प्रतिशत मजदूरों को इस अवधि में पदोन्नति मिल पाती थी. उत्पादन बोनस

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

'सेवा' चुनावों में सीटू यूनियन विजयी

भिलाई स्टील प्लांट में स्टील एंप्लाईज वैलफेयर एसोसियेशन (सेवा) के चुनाव 20 जुलाई को हुए. इस एसोसियेशन में मजदूरों की ओर से 10 प्रतिनिधि चुने जाने थे. मजदूर प्रतिनिधियों की संख्या पिछले वर्ष केवल 4 थी जो इस वर्ष बढ़ाकर 10 कर दी गई थी. पिछले वर्ष की समिति में एटक के 3 प्रतिनिधि थे व इंटक का एक प्रतिनिधि था. सीटू ने पिछले चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था.

इस चुनाव के लिए सीटू ने एटक के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने की पेशकश की किंतु एटक के असहयोगपूर्ण बर्ताव के कारण इसमें सफलता न मिल पाई. चुनाव परिणामों में एटक को एक भी सीट न मिल पाई. सीटू व इंटक यूनियनों को 5-5 सीटें मिलीं. इंटक यूनियन को प्रबंधकों ने खुले रुप से सहयोग दिया.

चुनाव के दिन इंटक द्वारा ट्रकों में भरकर ऐसे लोग वोट डलबाने के लिए लाए गए जो इस कारखाने में काम नहीं करते थे. अन्य यूनियनों की सजगता के कारण वे अपने मंसूबों में सफल न हो पाए. किंतु शाम को प्रबंधकों ने चुनाव अधिकारी से सांठ-गांठ कर एक नया चुनाव केंद्र बनवाया जहां इस प्रकार के अवैध वोट डलवाए गए. इस कदम का गैर-इंटक व्यक्तियों ने विरोध को दर्शाने के लिए वोटों की गिनती में भाग नहीं लिया.

इंटक दावा करती थी कि उसे कारखाने के 55 हजार कर्मचारियों में से 32 हजार का समर्थन प्राप्त है. किंतु इस चुनाव ने उसके दावों का खोखलापन सिद्ध कर दिया है. एटक यूनियन को भी मुंह की खानी पड़ी है. हमें विश्वास है कि एटक चुनाव के नतीजों से सबक सीखेगी व भविष्य में संयुक्त मोर्चा बनाकर मजदूरों की एकता को मजबूत करेगी.

जूट मजदूरों का फेडरेशन

अभी दस वर्ष पहले तक सभी औद्योगिक मजदूरों में जूट मजदूर सबसे अधिक पिछड़ा हुआ माना जाता था किंतु 1969 में पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों की भारी जीत से उनमें चेतना जगी है. 19 रुपये प्रति सप्ताह मजदूरी से बढ़कर आज उनका वेतन 500 रुपये प्रति माह हो गया है. पश्चिम बंगाल के उदाहरण को देखकर अन्य राज्यों के जूट मजदूरों ने भी संघर्ष करके मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हासिल की.

किंतु अलग-अलग राज्यों में हुए अलग-अलग संघर्षों के कारण जूट मजदूरों को अब तक एक राष्ट्रीय वेतनमान हासिल नहीं हो पाया है. विभिन्न राज्यों में जूट मजदूरों पर काम का बोझ भी अलग-अलग है. जहां एक ओर जूट मजदूर इन समस्याओं से पिसते रहे दूसरी ओर जूट उत्पादकों यानी किसानों को उनके अधिकारों व इनके द्वारा उत्पादित कच्चे माल के सही दामों से वंचित रखा जाता रहा. इस प्रकार जूट थैलीशाह मजदूरों व किसानों दोनों का समान रूप से शोषण करते रहे.

एकाधिकारी पूंजी व जूट घन्नासेठों के खिलाफ देशभर के जूट मजदूरों के संघर्षों की तालमेल करने व इनका नेतृत्व करने के लिए जूट मजदूरों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन का गठन 27 व 28 सितंबर को कानपुर में एक सम्मेलन में होगा. आयोजन सीटू व अन्य यूनियनों द्वारा किया जा रहा है.

सम्मेलन की संचालन समिति की एक बैठक 12 अगस्त को नई दिल्ली में हुई. बैठक में सीटू पदाधिकारियों ने भी भाग लिया. बैठक की अध्यक्षता सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने की. इस में प्रस्तावित फेडरेशन के संविधान, प्रस्तावों व रिपोर्ट की रूपरेखा पर विस्तार से बातचीत हुई. बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में संचालन समिति के संयोजक, कमल सरकार तथा नीरेन घोष, सुधीन कुमार, दौलत राम, नृसिंह चक्रवर्ती व अजय बिश्वास प्रमुख थे.

पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशों में फेरबदल का सीटू द्वारा विरोध

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 15 अगस्त को यह बयान जारी किया :

सी. आई. टी. यू. को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि पालेकर ट्रिब्यूनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए पहले स्वीकृत अनुमानित वेतन के प्रस्तावों को कम कर दिया है और यह सब अखबार सेठों के पक्ष में हुआ है.

सीटू की मानना है कि अखबार कर्मचारियों के वेतन के प्रश्न को कार्यान्वित करने में 20 महीने की अप्रत्याशित देरी कतई न्यायसंगत नहीं है क्योंकि इस काम में प्रबंधकों द्वारा असहयोगपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी. पालेकर प्रस्तावों में फेरबदल ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अखबारी प्रतिष्ठान बंद कर देने की धमकियों का नतीजा है और अखबारों के निर्दोष कर्मचारियों को अन्याय का शिकार होना पड़ा है.

सीटू भारत सरकार से अनुरोध करती है कि पालेकर ट्रिब्यूनल के अस्थाई प्रस्तावों को स्वीकार कर उन्हें पहली जनवरी 1978 से लागू किये जाने का निश्चय करे जैसाकि पहले स्वीकृत किया गया था.

सीटू पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशों में फेरबदल के खिलाफ अखबारों के पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन का आश्वासन देती है.

सी. आइ. एस. एफ. जवानों में रोष की लहर

पिछले वर्ष देशव्यापी आंदोलन के बाद सरकार ने इकाई स्तर पर सी. आइ.एस. एफ. कर्मचारी एसोसिएशन बनाने की अनुमति दे दी थी. अप्रैल 1980 में डी. आइ. जी. के निरीक्षण में एच. ई. सी. इकाई में एसोसिएशन के चुनाव हुए व विधिवत इसकी रांची में स्थापना हो गई. किंतु शीघ्र ही अधिकारियों ने इसके प्रति शत्रुतापूर्व व्यवहार करना आरंभ कर दिया व जवानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसके प्रति असहयोग-पूर्ण वर्ताव दर्शाया. जब एसोसिएशन ने बोकारो में मुअत्तिल हुए 250 साथियों व राउरकेला में मुअत्तिल हुए 5 साथियों को वित्तीय सहायता भेजी तो अधिकारी-वर्ग और भी चिढ़ गया.

बाद में सी. आइ. एस. एफ. के सभी डी. आइ. जी. व आइ. जी स्तर के अधिकारियों की दिल्ली में हुई एक बैठक में इस संगठन को तहस नहस करने का निर्णय लिया गया. उसके बाद एसोसिए-शन के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को विक्टिमाइज किया गया.

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नान-गजेटिड स्टाफ एसोसिएशन (एच. ई. सी. इकाई) की रांची में 7 अगस्त को हुई महासभा की बैठक में सभी विक्टिमाइजेशनों के खात्मे, स्थानांतरण वरिष्ठता के आधार पर करने, तथा लेख राम की मृत्यु के लिए जिम्मेदार असिस्टेंट कमांडेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई.

बिहार विद्युत कर्मचारियों का समर्थन

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 18 अगस्त को पटना में निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार कर्मचारियों की 11 दिन पुरानी अनिश्चित हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए उनकी जायज मांगों को मानने की बजाय उनका दमन कर रही है. इन दमनकारी तरीकों में बिजली को आवश्यक सेवा घोषित किया जाना तथा रांची में हड़ताली मजदूरों को मुअत्तिल किए जाने के कदम हैं. कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि वेतन संशोधन अवार्ड के अनुरूप 1 अप्रैल 1975 से उन्हें वेतन-वृद्धि मिले. राज्य सरकार के दमनकारी हथकंडों के पीछे एक ही इरादा है और वह है कर्मचारियों की शांतिपूर्ण व सफल हड़ताल को तोड़ना. सरकार के इन नापाक इरादों की निंदा करना सबका कर्त्तव्य हो जाता है.

मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वे इस विवाद में हस्तक्षेप करें व इसे बातचीत के द्वारा सुलझाकर हालात को सामान्य बनाएं. मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे 26 जून 1977 को हुए समझौते के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों की मांग को मान-लें व साथ ही मुअत्तिली के आदेश वापिस लें.

त्रिपुरा में मजदूर ही चाय बागान के मालिक हैं

त्रिपुरा में दो चाय बागानों का स्वामित्व चाय मजदूरों की सहकारी समिति को सौंप दिया गया है. पहले, त्रिपुरा की वामपंथी सरकार ने कैलाशर जिला में रंगरुंग मौसा की चाय बागान 'तपाई' को मजदूरों के हवाले किया था और हाल ही में सदर जिला में लक्ष्मीलुम्मा मौसा की एक चाय बागान भी मजदूरों के हाथों में सौंप दी गई है. राज्य के श्रम मंत्री बिरेन दत्ता के अनुसार, बागान को 'चाय मजदूर सहकारी समिति' नाम दिया गया है.

पश्चिम बंगाल

[पृष्ठ बारह का शेष]

को बढ़ाकर 70 रु० कर दिया गया है. मजदूरों व कर्मचारियों को अतिरिक्त 100 रु० एल. टी. सी. के रूप में मिलेगा. प्रबंधकों को प्रत्येक मजदूर के अवकाश प्राप्त करने पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य या निकट संबंधी को नौकरी देने की पद्धति को दुबारा लागू करने पर भी मजबूर होना पड़ा.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980 अप्रै.	मई	जून
बिहार			
जमशेदपुर	367	375	378
झारिया	358	356	360
कोडर्मा	397	399	410
मोंघाइर	397	406	410
नोआमुंडी	362	368	376
गुजरात			
अहमदाबाद	360	365	366
भाव नगर	388	395	391
हरियाणा			
यमुना नगर	403	418	423
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	387	396	404
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	400	405	406
भोपाल	374	377	385
ग्वालियर	393	408	415
इंदौर	390	393	396
महाराष्ट्र			
बंबई	381	385	389
नागपुर	365	377	382
शोलापुर	383	384	389
पंजाब			
अमृतसर	393	388	394
राजस्थान			
अजमेर	388	401	405
जयपुर	395	411	425
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	374	381	381
सहारनपुर	383	388	394
वाराणसी	433	438	442
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	387	390	391
कलकत्ता	362	371	375
दार्जीलिंग	311	321	325
हावड़ा	347	353	359
जलपाइगुरी	313	323	323
रानीगंज	377	380	375
दिल्ली	401	407	412
भारत	375	382	386

नाविकों का संघर्ष

आजादी के 33 वर्ष बाद भी भारतीय नाविकों के लिए नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही मालिकों व नाविकों के संबंधों पर कोई कानून इत्यादि ही हैं. किसी कानून या नियम संहिता के अभाव में भ्रष्टाचार पनपता है जिससे कि आम नाविकों को हानि होती है.

भारतीय नाविकों को जो भोजन दिया जाता है वह अच्छे स्तर का नहीं होता. कई बार तो वह इतना गंदा होता है कि इसे खाया नहीं जा सकता. जहाजों की भली प्रकार देखभाल नहीं रखी जाती. इसमें लगाए गए वातानुकूलन यंत्र ठप्प पड़े रहते हैं. बिजली के पंखों, रेडियो, टेलीविजन, मैसरूम इत्यादि सुविधाओं का अभाव रहता है. जहाजों पर खेलकूद, दवाइयों, यहां तक कि स्वच्छ पानी तक का अभाव रहता है. इसके अतिरिक्त अन्य भी कई समस्याएं हैं जिनके कारण नाविकों को तकलीफ उठानी पड़ती है. जहाजों के रख-रखाव का काम ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है जिनका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है. अक्सर वे जहाजों की भली प्रकार देख-रेख करने की बजाय नुक्सान ही पहुंचाते हैं. जहाजों की मरम्मत जो भारतीय बंदरगाहों पर हो सकती है विदेशों में करवाई जाती है. भारत में सूखी गोदी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद विदेशी बंदरगाहों को ही इस काम के लिए चुना जाता है. जहाजरानी मंत्रालय में भ्रष्टाचार बुरी तरह व्याप्त है.

विदेशी जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) स्तर की मजदूरी मिलती है. किंतु यह उन्हें सीधे न देकर सरकार को दी जाती है जो इसे नाविकों को देती है. किंतु भारत सरकार आई. एल. ओ, स्तर की मजदूरी न देकर नाविकों को एन. एम. बी. स्तर की मजदूरी देती है जो बहुत कम है. बकाया राशि 'सीफेयररर्स वैलफेयर फंड सोसाइटी' में दे दी जाती है. इस प्रकार सरकार नाविकों की मजदूरी का एक भाग विदेशी मुद्रा की लेवी के रूप में ले लेती हैं. किंतु जब नाविक नौकरी की सुरक्षा या अन्य सुविधाओं के लिए सरकार के पास जाते हैं तो सरकार यह कहकर साफ बच जाती है कि वे उसके कर्मचारी नहीं हैं.

इन हालात में फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) मांग करती रही है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में बुनियादी परिवर्तन किए जाएं. यूनियन भारतीय व विदेशी दोनों प्रकार के नाविकों के अधिकारों व मांगों के लिए संघर्ष करती रही है. कई बार इसे बंदरगाहों में जहाजों को रोके रखना पड़ा है.

शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक एस. आर. प्रसाद ने 26 जुलाई को यह झूठा आरोप लगाया कि कलकत्ता के नाविक केवल कलकत्ता बंदरगाह पर जहाजों को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वे मुआवजे के नाम पर किसी न किसी बहाने जहाजरानी कंपनियों से पैसा ऐंठना चाहते हैं. फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया के महासचिव आशुतोष बैनर्जी ने एक अगस्त के अपने वक्तव्य में इन आरोपों को चुनौती दी. उन्होंने बताया कि जहाजों को न केवल मुआवजे के लिए बल्कि उनकी भली प्रकार मरम्मत किए जाने की मांग के लिए भी रोका गया है. साथ ही जहाजों को न केवल कलकत्ता बंदरगाह पर बल्कि बंबई, नया कांडला, कोचीन, मद्रास तथा अन्य बंदरगाहों पर भी रोका गया है. द्विपक्षीय वार्ता में अधिकतर मुद्दों पर फैसले हुए हैं. ये फैसले पूरी तरह से वैध हैं और फिर जहाजरानी कंपनियों के लिए यह जरूरी नही है कि फैसलों के लिए शिप्पिंग मास्टर के पास जाए. लेकिन सरकार को लगता है कि अब कानून को लागू करने की चिंता लगी है जबकि यह विदेशी जहाजों में कार्यरत नाविकों की सुरक्षा में नाकामयाब रहती हैं

क्षेत्रीय निदेशक सी. आर. प्रसाद समाचारपत्रों को एम. वी. "आराधना" एम. वी. "विश्व शक्ति" तथा अन्य जहाजों के बारे में झूठे वक्तव्य दे रहे हैं. जहां तक "आराधना" का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने मामले में हस्तक्षेप किया और एक समाधान निकाल लिया गया. किंतु शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया मामले को लटका रहा है और अब तक क्षेत्रीय निदेशक की ओर से मुख्य सचिव को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. फारवर्ड सीमैंज यूनियन आफ इंडिया सरकार से आग्रह करती है कि वह समस्या के जायज समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करे व नाविकों को लंबे संघर्ष पर जाने के लिए मजबूर न करे.

पांच अगस्त को क्षेत्रीय निदेशक के के कार्यालय के सामने कलकत्ता के नाविकों ने एक विशाल प्रदर्शन किया तथा "आराधना" व "विश्वशक्ति" के प्रबंधकों द्वारा इत जहाजों पर काम करने वाले नाविकों व मजदूरों के प्रति अपनाए जा रहे रुख के खिलाफ चिंता व गुस्से का प्रदर्शन किया. नाविकों की ओर से वाटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन आफ इंडिया (सीटू) के महासचिव के.के. राय गांगुली ने क्षेत्रीय निदेशक को एक स्मरणपत्र दिया. स्मरणपत्र को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव द्वारा दिए गए सुझावों को क्षेत्रीय निदेशक द्वारा न माने जाने के पीछे छिपे इरादों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है. इसमें आग्रह किया गया है कि सभी प्रकार के भड़काने वाले कदमों तथा जहाज के नाविकों के खिलाफ जारी किए गए मुअत्तिली के आदेश वापिश ले लिए जाएं. यदि ऐसा नहीं होता तो नाविकों में गंभीर असंतोष फैल सकता है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय व विदेशी बंदरगाहों पर एस. सी. आई. के सभी जहाजों पर काम ठप्प हो सकता हैं. इसमें आशा की गई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर शीघ्र ही समस्या का सही समाधान हो जाएगा.

बंबई में जबरदस्त ट्रेड यूनियन प्रदर्शन

सीटू, एटक, यूटक, एच. एम. एस. और एल. आई. सी. सरकारी और बैंक आदि मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के संगठनों ने कीमत वृद्धि, कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात, बेरोजगारी में वृद्धि तथा अनेक उद्योगों में तालाबंदी और क्लोजर के विरुद्ध बंबई में, काउंसिल हाल के सामने 5 अगस्त को 20,000 मजदूरों का एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया.

जहां मजदूर व कर्मचारी अपनी मांगों के लिए बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वहां सी. पी. आइ. (एम), सी. पी. आई., जनता पार्टी तथा पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के विधानसभा सदस्य यह सवाल विधानसभा में उठा रहे थे. उन्होंने ट्रेड यूनियनों और मध्यमवर्गीय कर्मचारियों की संयुक्त कार्यवाही कमेटी के प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गयी मांगों के लिए हस्तक्षेप करने तथा उन्हें हल करने की मांग की.

इन सभी संगठनों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने गया जिसमें एस. वाई कोल्हटकर, पी. के. कुरणे और मदन फडनीस सीटू के प्रतिनिधि थे. इसके बाद संगठनों के नेताओं ने फ्लोरा फाउंटेन पर मजदूरों को संबोधित किया.

यह मोर्चा, राज्य व केंद्रीय सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्य-व्यापी संघर्ष की शुरूआत है. मुख्यमंत्री को पेश किये गये मांगपत्र में यह चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार इस मसले को हल करने के लिए तुरन्त कोई कदम नहीं उठाती तो मजदूर वर्ग को अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा.

इसी दौरान महिलाओं की कीमत वृद्धि के खिलाफ संयुक्त कमेटी ने कीमत वृद्धि और महिलाओं पर होने वाले बलात्कारों के खिलाफ प्रचार किया जो महिलाओं व कामगार महिलाओं पर आजकल बहुत बढ़ गये हैं. एक महीने से महिलाओं द्वारा किया गया यह अभियान 8 अगस्त को विशाल मोर्चे में समाप्त हुआ जो आजाद मैदान से काउंसिल हाल तक आयोजित किया गया था. इस मोर्चे का नेतृत्व अन्यों सहित अहिल्या रांगणेकर ने किया.

टाटा मलिन में तालाबंदी समाप्त

टाटा मलिन एंड जेरिन कंपनी, थाने (बंबई) में 3 महीने लंबी तालाबंदी के बाद सीटू यूनियन व प्रबंधकों में फैसला हो गया जिसके परिणामस्वरूप तालाबंदी समाप्त हो गई. कंपनी के 600 कर्मचारी 24 जुलाई से पुनः काम पर आ गए.

याद रहे कि कर्मचारियों को 20 अप्रैल से तब हड़ताल पर जाना पड़ा जब प्रबंधकों ने बेबुनियाद आधार पर 4 यूनियन कार्यकर्ताओं को मुअत्तिल कर दिया. 6 मई को प्रबंधकों ने तालाबंदी की घोषणा की थी. अब हुए फैसले के अनुसार मुअत्तिल किए कर्मचारियों को वापिस ले लिया जाएगा तथा कर्मचारियों को वेतनवृद्धि व उत्पादन-प्रोत्साहन इनाम भी मिलेगा.

कृष्णा वूलन मिल्ज मजदूरों की विजय

कृष्णा वूलन मिल्ज, भांडुप (बंबई) में पिछले 9 महीने से चल रही तालाबंदी को प्रबंधकों ने 26 जुलाई को बिना शर्त वापिस ले लिया. इसके 1500 मजदूर अब काम पर लौट रहे हैं.

प्रबंधकीय अव्यवस्था व भ्रष्टाचार ने इस मिल को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि यहां के मजदूरों को अपने वेतन पाने के लिए भी आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा है. वर्तमान तालाबंदी का मतलब मजदूरों को तंग कर उन्हें कम मजदूरी स्वीकार करने को मजबूर करना था. किंतु मजदूरों ने इन इरादों का डटकर मुकाबला किया व अपने प्रयास में सफल रहे.

इस मिल के बहुसंख्यक मजदूर वूलन वर्कर्ज यूनियन (सीटू) के सदस्य हैं जो मान्यताप्राप्त यूनियन भी है. एमर्जेंसी के दौरान प्रबंधको ने मजदूरों को विभाजित करने के इरादे से इंटक यूनियन को प्रोत्साहित व पोषित किया. एमर्जेंसी के बाद भी यह प्रयत्न जारी रहा जो मजदूरों व प्रबंधकों के बीच विवाद का एक मुख्य मुद्दा बन गया. सीटू ने मजदूरों की इच्छा जानने के लिए गुप्त मतदान का भी सुझाव दिया जो इंटक यूनियन को मंजूर न था. अंततः प्रबंधकों को मजबूर होकर सीटू यूनियन के साथ ही समझौता करना पड़ा.

विदेशों के लिए प्रतिनिधि मंडल

एशियन ट्रेड यूनियन संस्थानों के प्रतिनिधियों का दूसरा यूगोस्लाव एशियन सेमिनार 29 सितंबर से 13 अक्तूबर तक बेल्ग्राद में यूगोस्लाविया की कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज द्वारा आयोजित किया जा रहा है. सीटू की ओर से उपाध्यक्ष सी. कन्नान इस सेमिनार में भाग लेंगे.

वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज शांति के लिए लोगों की विश्व पार्लियामेंट सोफिया (बुलगरिया) में 23 से 27 सितंबर तक आयोजित कर रही है. सीटू की ओर से सीटू की कर्नाटक राज्य समिति के अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव इस बैठक में भाग लेंगे.

सोवियत रूस की एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन ने 6 सितंबर से होने वाले अपने सम्मेलन में आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) को आमंत्रित किया है. फेडरेशन की ओर से फेडरेशन के उपाध्यक्ष पी. कुन्ही कुन्नन इस सम्मेलन में भाग लेंगे.

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित